

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
मदारु, भांकरोटा, जयपुर-302026 (राजस्थान)




सामान्य दिशा निर्देशिका

प्री-शिक्षाचार्य परीक्षा (पी.एस.ए.टी.) –2023

संरक्षक

प्रोफेसर डॉ. रामसेवक दुबे

कुलपति



समन्वयक

श्री भंवरलाल मेहरडा
कुलसचिव


अतिरिक्त समन्वयक

श्री दुर्गेश राजोरिया
वित्त नियंत्रक

सह-समन्वयक


डॉ. कुलदीप सिंह
सहायक आचार्य

सह-समन्वयक


डॉ. दिवाकर मिश्र
सहायक आचार्य

सह-समन्वयक


डॉ0 जे. एन. विजय
उपकुलसचिव

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
ग्राम-मदारु, पोस्ट-भांकरोटा, जयपुर-302026 (राजस्थान)

हेल्पलाईन नम्बर :-
9001525777
0141-2850552

वेबसाईट :
www.jrsanskrituniversity.ac.in

प्री-शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा 2023


पात्रता:—शिक्षाशास्त्री/बी.एड. (संस्कृत शिक्षण विषय सहित), सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक, अ.जा., अनु.जनजाति, ओ.बी.सी., टीएसपी, एसबीसी एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत

आवेदन प्रक्रिया:— आवेदन पत्र वेबसाइट www.jrsanskrituniversity.ac.in के माध्यम से ऑन लाईन भरे जाएँगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व वेबसाइट पर प्रदत्त दिशा-निर्देशों को भली-भाँति पढ़ लेवें।

परीक्षा शुल्क :- अभ्यर्थी प्रवेश/आवेदन परीक्षा शुल्क राशि रु. 500/- (रूपये पाँच सौ मात्र) वेबसाइट के माध्यम से ऑन लाईन जमा करवा सकेंगे। प्रवेश/आवेदन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् भी यदि आवेदन पत्र का प्रिन्ट नहीं निकलता है तो निर्धारित अवधि में हैल्पलाईन नम्बर 9001525777, 0141-2850552 पर सम्पर्क करें।

ऑनलाईन आवेदन पत्र— ऑनलाईन आवेदन पत्र अत्यन्त सावधानी पूर्वक भर कर उसका प्रिन्ट लें एवं आवेदन पत्र की हार्ड प्रति एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्व सत्यापित छायाप्रति अपने पास सुरक्षित संभाल कर रख लें। इन्हें काउंसलिंग के बाद विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में प्रवेश के समय जमा करवाना आवश्यक है। यदि प्रवेश पूर्व परीक्षा आयोजित होगी तो परीक्षा केन्द्र आवंटन हेतु समन्वयक पीएसएटी परीक्षा 2023 का निर्णय अंतिम होगा।

नोट— परीक्षार्थी अपना मोबाईल नम्बर अंकित करे ताकि परीक्षा से संबंधित सूचना एस.एम.एस. (SMS) के माध्यम से संबंधित मोबाईल नम्बर पर ससमय दी जा सके। आवेदन पत्र व्यवहार का अपना पूर्ण पता मय पिनकोड के आवेदन पत्र में सही अंकित करें ताकि आवश्यकतानुसार पत्राचार किया जा सके। ऑनलाइन आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाइन ही जमा (submit) करें तथा इसका प्रिन्ट लेकर अपने पास सुरक्षित रखे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर विश्वविद्यालय वेबसाइट का अवलोकन करें। किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु पृथक से विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जायेगा। प्रवेश के संदर्भ में राज्य सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा समय-समय पर जारी आदेश तथा निर्देश लागू होंगे।



जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय,

ग्राम-मदाऊ, पोस्ट-भांकरोटा, जयपुर-302026

विश्वविद्यालय एक परिचय

स्थापना:-

संस्कृत वाङ्मय के सांगोपांग अध्ययन-अध्यापन के साथ-साथ उसमें निहित ज्ञान-विज्ञान को विशेषज्ञीय अनुसंधान द्वारा प्रकाश में लाने, संस्कृत को अद्यतन विज्ञान के साथ शोधपरक विश्लेषण के द्वारा प्रायोगिक रूप से समाजोपयोगी बनाने, वैदिक वाङ्मय में अन्तर्निहित लौकिक तथा पारलौकिक विशिष्ट ज्ञान-विज्ञान को अनुसंधानपरक वैज्ञानिक विधियों से व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत करने एवं संस्कृत शिक्षा को एक नई दिशा प्रदान करने के उद्देश्यों से राजस्थान-संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 पारित कर राजस्थान सरकार ने संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की है।

दिनांक 6 फरवरी, 2001 को राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का विधिवत् शुभारम्भ हुआ जिसके प्रथम कुलपति पद्मश्री डॉ. मण्डन मिश्र रहे। वर्तमान में जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉ. रामसेवक दुबे हैं।

विश्वविद्यालय परिसर :-

राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध 79.55 हैक्टर (लगभग तीन सौ बीघा) भूमि में संस्कृत विश्वविद्यालय अवस्थित है। विश्वविद्यालय परिसर में प्रातः स्मरणीय ब्रह्मपीठाधीश्वर संत शिरोमणि श्री नारायणदास जी महाराज त्रिवेणीधाम के शुभाशीर्वाद, से प्रशासनिक भवन, 6 संकाय भवन, कुलपति आवास, कुलसचिव आवास, विशाल पुस्तकालय भवन, शोधशाला, छात्र व छात्राओं के पृथक-पृथक छात्रावास, अतिथिगृह अधिकारी व कर्मचारी आवास, सुपर मार्केट, बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि निर्मित हैं जो भारतीय, विशेषतः जयपुर की वास्तुकला के अनुरूप बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान से ओपन एयर थियेटर, राजस्थान मन्त्र प्रतिष्ठान, योग भवन, सभागार आदि के निर्माण करवाया जाकर इनका सुचारु संचालन किया जा रहा है।

संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री, आचार्य, संयुक्ताचार्य, शिक्षाशास्त्री, शिक्षाचार्य, विद्यावारिधि, योग विज्ञान शास्त्री (B.A./B.Sc.), योग विज्ञान आचार्य (M.A./M.Sc.), योग चिकित्सा स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDYT) एक वर्षीय योग, प्रशिक्षक प्रमाण पत्र (YIC) त्रैमासिक, कर्मकाण्ड एवं पौरोहित्य तथा एक वर्षीय ज्योतिष एवं वास्तु प्रमाण पत्र डिप्लोमा, एक वर्षीय पीजीडीसीए स्नातकोत्तर डिप्लोमा, एक वर्षीय उपाधियों आदि के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था के साथ-साथ गहन अनुसंधान एवं शोध को गति और दिशा देने के उद्देश्य से 8 अध्ययन पीठों की भी स्थापना की गई है। साथ ही वर्तमान शैक्षिक सत्र से कला संवर्ग के विविध विषयों में बी.ए. तथा एम.ए. पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

विश्वविद्यालय में सम्प्रति निम्नलिखित 6 संकायों के अधीन विभिन्न उपाधियों हेतु अध्ययन व्यवस्था है :-

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1. वेद वेदांग संकाय | 2. दर्शन संकाय | 3. शिक्षा संकाय |
| 4. आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय | 5. साहित्य एवं संस्कृति संकाय | 6. श्रमणविद्या संकाय |

शिक्षा-संकाय :-

विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के अन्तर्गत शिक्षाशास्त्री (बी.एड), शिक्षाचार्य (एम.एड) एवं विद्यावारिधि (पीएच.डी) के पाठ्यक्रम संचालित हैं। वर्तमान में शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 74 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में संचालित हैं। विश्वविद्यालय के शिक्षाशास्त्र विभाग में सत्र 2006-07 से शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम और विद्यानिधि शिक्षा (एम. फिल) पाठ्यक्रम तथा सत्र 2007-08 से शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम संचालित है। शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में पी.एस.एस.टी. द्वारा मेरिट के आधार पर प्रवेश होता है। विद्यानिधि शिक्षा (एम.फिल) तथा विद्यावारिधि शिक्षा (पीएच.डी) उपाधि में प्रवेश एनसीटीई/यू.जी.सी./राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर तथा शिक्षाचार्य (एम.एड.) में पीएसएटी द्वारा मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

शिक्षाचार्य :-

राज्य सरकार के निर्णयानुसार सत्र 2007-08 से शिक्षाचार्य कक्षा में प्री-शिक्षाचार्य टेस्ट के मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जा रहा है। एनसीटीई के निर्देशानुसार सत्र 2016-17 से शिक्षाचार्य (एम.एड के समतुल्य) पाठ्यक्रम दो वर्षीय एवं चार सेमेस्टर्स का है। यह पाठ्यक्रम केवल विश्वविद्यालय के शिक्षाशास्त्र विभाग में संचालित है एवं इसमें कुल 50 स्थान हैं। शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम के अध्ययन-अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम संस्कृत है।

प्री-शिक्षाचार्य टेस्ट, 2023
महत्त्वपूर्ण निर्देश

1. शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा हेतु मार्गदर्शन :-

- शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा में तीन घण्टे की अवधि का एक प्रश्नपत्र होगा।
- प्रश्न पत्र में 200 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और सभी प्रश्नों के चार बहुविकल्पात्मक उत्तर होंगे।
- प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र शास्त्री/बी.ए. (संस्कृत) तथा शिक्षाशास्त्री /बी.एड. (संस्कृत शिक्षण सहित) स्तर का होगा।
- अभ्यर्थी दिये गये विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन सही उत्तर के रूप में करेगा।
- सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 अंकों के होंगे तथा नकारात्मक अंकन नहीं होगा।
- प्रश्नपत्र संस्कृत माध्यम में होगा।
- प्रश्नपत्र के पाँच भाग होंगे, प्रत्येक भाग 40 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र कुल 200 अंकों का होगा।

2. पाठ्य बिन्दु :-

शिक्षा के सामाजिक-दार्शनिक आधार- 40 अंक

शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, प्रकार,, शिक्षा दर्शन, समाज और शिक्षा, मूल्य शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य एवं मानवाधिकार।

शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार- 40 अंक

शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं आवश्यकता, बालक की वृद्धि एवं विकास, अधिगम, अधिगम के सिद्धान्त, बुद्धिलब्धि, व्यक्तित्व एवं विशिष्ट बालक।

शिक्षा इतिहास, समस्याएं, प्रबन्धन एवं शैक्षिक तकनीकी- 40 अंक

विविध कालों में शिक्षा, शिक्षा की समस्याएं, शिक्षा के विविध आयोग, विद्यालय प्रबन्धन एवं शैक्षिक तकनीकी।

संस्कृत विषयज्ञानम्- 40 अंक

शब्दरूपाणि, धातुरूपाणि, सन्धिः, समासः, कारकम्, स्त्रीप्रत्ययः, शतृशानचादयः प्रत्ययाः, कृतद्धितप्रत्ययाः, संस्कृतसाहित्यम्।


संस्कृतशिक्षणाधिगमः - 40 अंक

भाषाकौशलानि, शिक्षायाः विविध-आयोगाः, संस्कृतशिक्षणविधयः, संस्कृतशिक्षकस्य गुणाः संस्कृतशिक्षणसमस्याः, दृश्यश्रव्योपकरणानि, आदर्शसंस्कृतपाठयोजनाः, मूल्यांकनम्, संस्कृतशिक्षणस्य महत्त्वम्, संस्कृते समसामयिकाः अंशाः, संस्कृतशिक्षणेतिहासः।

प्री-शिक्षाचार्य टेस्ट 2023

प्रवेश नियम

1. शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में सत्र 2023-24 में प्रवेश के लिए ज.रा.रा. संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा प्री-शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी। एतदर्थ विश्वविद्यालय द्वारा प्री-शिक्षाचार्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की शिक्षाशास्त्री/बी.एड (संस्कृत शिक्षण विषय सहित) में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, विधवा एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं साथ ही अन्य प्रवेश-अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले अभ्यर्थी प्री-शिक्षाचार्य परीक्षा के माध्यम से शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन करने योग्य हैं।
2. शिक्षाचार्य की शैक्षणिक सत्र 2023-24 से पारम्परिक धारा के 70 प्रतिशत एवं आधुनिक धारा के 30 प्रतिशत सीटों के आरक्षण को समाप्त किया गया है तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु 5 प्रतिशत सीटों के आरक्षण के प्रावधान को भी समाप्त कर, समान रूप से अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जाने का निर्णय किया है (राज्य सरकार का पत्रांक प18(1)शिक्षा-6/2016 दिनांक 19.05.2023)।



3. शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में कुल 50 स्थान हैं।
4. प्री-शिक्षाचार्य टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की एक योग्यता सूची बनाई जायेगी।
5. उपलब्ध स्थानों की कुल संख्या में से आरक्षण इस प्रकार किया जायेगा :-

- (i) राजस्थान के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये16 प्रतिशत।
- (ii) राजस्थान के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये12 प्रतिशत।

नोट :- राजस्थान सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग के पत्रांक प 10(6) शिक्षा-1/2007 जयपुर दिनांक 18.02.2010 के आदेशानुसार अनुसूचित जाति के उपयोजना क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजाति के युवाओं को उपरोक्त 12 प्रतिशत का 45 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा। यह आरक्षण अधिसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के राज्य सरकार द्वारा घोषित जिलों/क्षेत्र पर लागू होगा।

- (iii) राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये21 प्रतिशत।
- (iv) महिला अभ्यर्थी30 प्रतिशत (सह शिक्षा महाविद्यालयों में मैरिट के आधार पर) महिला शिक्षा महाविद्यालयों में सभी स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे किन्तु इनमें राजस्थान राज्य के आरक्षण नियमों की अनुपालना की जायेगी। महिलाओं के लिए कुल उपलब्ध स्थानों में 8 प्रतिशत विधवा तथा 2 प्रतिशत विवाह विच्छिन्न महिला अभ्यर्थियों को आवंटित किये जायेंगे।

दिव्यांग अभ्यर्थियों (दृष्टिहीन, मूक एवं बधिर, शारीरिक दिव्यांग) न्यूनतम 40 प्रतिशत असमर्थता होने पर - कुल 5 प्रतिशत।

- (अ) जहाँ मेडिकल कॉलेज है वहाँ के सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सक (सह आचार्य) से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर।
- (ब) जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है वहाँ के सी.एम.एच.ओ से अथवा विशेषज्ञता रखने वाले जूनियर स्पेशलिस्ट से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर।
- (v) सेवारत/सेवानिवृत्त रक्षाकर्मी अथवा उसके वार्ड (आश्रित) के लिये 05 प्रतिशत।
- (vi) कार्मिक विभाग के अशा.टी.प. सं. प.7(1)कार्मिक/क-2/17 जयपुर दिनांक 08.03.19 के अनुसार अति पिछड़े वर्गों (MBC) को 5 प्रतिशत आरक्षण देय है।
- (vii) कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ0 7(1)कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 के अनुसार सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।

नियम 05 का स्पष्टीकरण

- (i) राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजन मजिस्ट्रेट से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (ii) वार्ड (आश्रित) से अभिप्राय:- पुत्र, पुत्री, पत्नी/पति है। सगे भाई-बहिन भी रक्षाकर्मी के वार्ड माने जा सकते हैं बशर्ते वे उसके आश्रित हों और उनके माता-पिता जीवित न हों।
- (iii) रक्षाकर्मी या उसके आश्रित के लिए- सचिव, सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा नियमानुसार जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (iv) विवाह विच्छिन्न महिला को न्यायालय से अपने तलाकशुदा होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं इस आशय का शपथ-पत्र भी देना होगा कि उसने पुनः शादी नहीं की है। इसी प्रकार विधवा वर्ग में होने का ग्राम पंचायत/म्युनिसिपल बोर्ड के सक्षम अधिकारी का

- प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रावधान मुस्लिम महिला आवेदकों पर भी लागू होगा।
- (v) राजस्थान का मूल निवासी होने के दावे के निर्णय हेतु किसी सक्षम अधिकारी-जिला मजिस्ट्रेट अथवा इस निमित्त अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त मूल निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। विवाहित महिला के सन्दर्भ में उसके पति का मूल निवास राजस्थान में होने पर उसका भी मूल निवास माना जा सकता है बशर्ते पति के निवास का मूल निवास प्रमाण पत्र पेश किया जाए और विवाह प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो परीक्षा में बैठने के लिये भरे गये आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाए।
- (vi) रक्षाकर्मियों और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो राजस्थान के बाहर पदस्थापित हैं/थे परन्तु जो मूलतः राजस्थान के निवासी उन्हें भी शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेश का पात्र माना जा सकता है बशर्ते उन्होंने पी.एस.ए.टी में बैठने के लिए भरे गये आवेदन पत्र के साथ अपने संरक्षक नियोक्ता का प्रमाण पत्र और सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त मूल निवास का प्रमाण-पत्र संलग्न किया हो। किसी भी स्तर पर यदि तथ्यों का विवरण असत्य पाया गया तो अभ्यर्थी स्वतः ही परीक्षा में बैठने की पात्रता खो देगा और यदि प्रवेश मिल भी चुका हो तो वह भी निरस्त हो जायेगा।
- (vii) EWS श्रेणी में स्थान/आरक्षण प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र जो एक वर्ष से अधिक अवधि का ना हो प्रस्तुत करना होगा।

पात्रता नियमों का स्पष्टीकरण :-

- शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है, जिन्होंने शिक्षाशास्त्री/बी.एड. (संस्कृत शिक्षण विषय सहित) उत्तीर्ण की है।
- पात्रता से अभिप्राय इस विश्वविद्यालय की शिक्षाशास्त्री उपाधि अथवा राजस्थान राज्य में स्थित अन्य विश्वविद्यालय की बी.एड. (संस्कृत शिक्षण विषय सहित) उपाधि अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की समतुल्य उपाधि जो इस प्रयोजनार्थ मान्य हो, से है।
- जो अभ्यर्थी प्री-शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा-2023 के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक पात्रता शर्तों में से किसी शर्त को पूरा नहीं करता है उसे प्री-शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन नहीं करना चाहिये। काउन्सलिंग की तिथि तक निर्धारित अर्हक-परीक्षा की मूल अंक तालिका प्रस्तुत करने में असमर्थ होने पर अभ्यर्थी की पात्रता स्वतः निरस्त मानी जायेगी। मेरिट में आ जाने के बाद भी काउन्सलिंग के लिए निर्धारित समयावधि के अन्दर उपस्थित न होने पर अभ्यर्थी की पात्रता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

सामान्य निर्देश :-

- प्रथमतः अभ्यर्थी को प्री-शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा-2023 में बैठने की अपनी पात्रता का निर्धारण स्वयं करना चाहिये, क्योंकि परीक्षा में बैठने के स्तर तक आवेदन-पत्रों की जांच विश्वविद्यालय द्वारा की जानी आवश्यक नहीं है। परीक्षा में बैठने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की अपनी है जो उसे शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेश का कोई अधिकार, उस दशा में नहीं देता है, यदि बाद में यह पता लगे कि वह इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता ही नहीं रखता।
- प्री-शिक्षाचार्य परीक्षा-2023 में अभ्यर्थी के बैठने तथा प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने मात्र से शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिल जाता है। इसके लिए अभ्यर्थी को अपने वर्ग की मेरिट में स्थान प्राप्त करना आवश्यक है। सम्बन्धित वर्ग की मेरिट के आधार पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु स्थान प्राप्त होगा।
- अभ्यर्थी को निर्देश पुस्तिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और समस्त नियमों की पालना करनी चाहिये।

- प्री-शिक्षाचार्य परीक्षा-2023 हेतु ऑन लाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी स्वयं जाँच कर सही-सही सूचनाएँ अंकित करे। आवेदन पत्र में सूचनाएँ गलत पाये जाने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
- प्री-शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा-2023 का शुल्क किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं है। अतः निर्देशों के अन्तर्गत जो अभ्यर्थी पात्रता रखते हैं केवल उन्हें ही आवेदन करना चाहिये।
- शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश परीक्षा, अध्ययन-अध्यापन, वार्षिक परीक्षा तथा लघु शोध प्रबन्ध का माध्यम संस्कृत होगा।

टेस्ट प्रश्नपत्र एवं उत्तर चयन :-

- प्री-शिक्षाचार्य परीक्षा केवल जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राज. संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्र पर ही होगी।
- प्री-शिक्षाचार्य परीक्षा में कुल 200 अंकों का एक प्रश्नपत्र होगा जिसका माध्यम संस्कृत होगा।
- प्रश्न पत्र में बहुविकल्पात्मक उत्तर सहित 200 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे।
- अभ्यर्थी दिये गये विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन सही उत्तर के रूप में करे।
- सभी प्रश्न 1-1 अंक के होंगे तथा नकारात्मक मार्किंग नहीं होगा।
- सत्र 2023-24 में कटऑफ मार्क्स जारी करने की व्यवस्था नहीं की गई है।
- परीक्षार्थी को प्रश्नपत्र में दिये गये प्रश्न के सही उत्तर चुनकर दिये गये उत्तर प्रपत्र में प्रश्न क्रमांक के अनुरूप काली स्याही के बॉलपेन से पूरे गोले को गहरा काला करना चाहिए। निशान गहरा काला और गोला पूरा भरा होना चाहिये। प्रश्नपत्र के उत्तर के लिये केवल एक गोले को गहरा काला करना चाहिए। उत्तर पत्रक पर इधर-उधर कहीं कोई निशान नहीं लगाएँ। उत्तर पत्रक पर रफ कार्य नहीं करना चाहिए। टेस्ट बुकलैट में रफ कार्य के लिए स्थान दिया हुआ है जिस पर आप अपना रफ कार्य कर सकते हैं। मूल्यांकन केवल उत्तर पत्रक (ओ.एम.आर. शीट) पर आपके द्वारा किये गये गोलों के आधार पर ही किया जायेगा।
- टेस्ट पुस्तिका, परीक्षा समाप्ति के पश्चात् सम्बन्धित वीक्षक को लौटानी होगी।
- सभी अभ्यर्थियों की योग्यता सूची प्री-शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर तैयार की जायेगी।
- प्री-शिक्षाचार्य परिणाम में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने पर मेरिट का आधार उनकी शिक्षाशास्त्री/बी.एड परीक्षा (संस्कृत शिक्षण विषय सहित) के प्राप्तांक होंगे और यदि शिक्षाशास्त्री/बी.एड. परीक्षा (संस्कृत शिक्षण विषय सहित) के अंक समान होंगे तो जन्मतिथि को आधार माना जायेगा। अर्थात् उम्र की अधिकता (Older is first) से वरीयता दी जावेगी। यदि जन्म तिथि भी समान पायी जाती है तो अभ्यर्थी को शास्त्री/बी.ए. संस्कृत / समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा।

अन्य :-

- परीक्षा के उत्तर पत्रक किसी भी स्थिति में किसी न्यायालय (सिविल अथवा क्रिमिनल) के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे न ये अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
- किसी भी वाद का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
- यदि किसी कारणवश अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं होता है तो वह स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के फोटो, फोटोयुक्त आई.डी. प्रूफ एवं फीस जमा के चालान की प्रति प्रस्तुत कर विश्वविद्यालय कार्यालय से डुप्लिकेट प्रवेश पत्र रुपये 50/- शुल्क जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। यह व्यवस्था परीक्षा से एक घण्टा पूर्व तक ही रहेगी।


परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है, इसके बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
2. परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पहले अपना स्थान अवश्य ग्रहण कर लें।
3. अभ्यास कार्य उत्तर पत्र (ओ.एम.आर.) पर न करें।
4. केलक्यूलेटर, पेजर, मोबाइल, या अन्य किसी प्रकार की सामग्री जो परीक्षा को प्रभावित करती हो परीक्षा स्थल पर लाना प्रतिबन्धित है।
5. प्रवेश के समय प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


महत्वपूर्ण सूचना

परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग कानून के अनुसार एक अपराध है। तदनुसार प्री-शिक्षाशास्त्री प्रवेश परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करना तथा उनका सहारा लेने के दोष में लिप्त परीक्षार्थियों एवं उन्हें ऐसा करने में सहयोग करने वालों को 03 वर्ष की कैद की सजा हो सकती है अथवा उन पर 2000/-रूपये तक जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों हो सकते हैं अथवा अद्यतन प्रावधानों के अनुसार दण्डित किया जा सकता है।


दुर्गेश राजोरिया
अतिरिक्त समन्वयक
पीएसएटी-2023


डॉ. कुलदीप सिंह
सह-समन्वयक,
पीएसएटी-2023


डॉ. दिवाकर मिश्र
सह-समन्वयक,
पीएसएटी-2023


श्री भंवरलाल मेहरडा
कुलसचिव एवं समन्वयक
पीएसएटी-2023


डॉ. जे0 एन0 विजय
सह-समन्वयक,
पीएसएटी-2023

शिक्षाचार्य-प्रवेश-परीक्षा 2023

आदर्श-प्रश्नपत्रप्रारूपम् : 200 अंकाः

200 अंकाः (वस्तुनिष्ठप्रश्नाः)

(समयावधि: -घण्टात्रयम्)

भाग :- (i) शिक्षायाः सामाजिकदार्शनिकाधाराः :- 40 अंकाः

1. शिक्षायाः प्रमुखमुद्देश्यमस्ति-आत्मनः, मनसः, शरीरस्य च सर्वोत्कृष्टतमस्य तत्त्वस्योद्घाटनम्। एतन्मतमस्ति-
(अ) फ्राबेलमहोदयस्य (ब) गिजूभाईमहोदयस्य
(स) विवेकानन्दयस्य (द) गान्धिमहोदयस्य
2. षड्वर्षादारभ्य चतुर्दशवर्षेभ्यः बालकेभ्यः शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य प्रावधानं कस्मिन् संविधान-संशोधने कृतम् ?
(अ) 86 तमे संशोधने (ब) 45 तमे संशोधने
(स) 46 तमे संशोधने (द) 42 तमे संशोधने
3. शिक्षाक्षेत्रे समानताया अवसरः तदागमिष्यति यदा-
(अ) लिंगभेदस्य समाप्तिः स्यात्। (ब) व्यावहारिकी समानता सुनिश्चिता स्यात्।
(स) अन्तर्जातीयविवाहस्य सामाजिकी मान्यता स्यात् (द) प्रजाभ्याः धनसंग्रहणम् स्यात्।
4. नवोदय-विद्यालयस्य स्थापनाया लक्ष्यम् -
(अ) ग्रामस्थ मेधाविबालकानां सुशिक्षायै (ब) ग्रामस्थ मन्दबुद्धिबालकानां सुशिक्षायै
(स) ग्रामस्थ बालकानां निःशुल्कसुशिक्षायै (द) नगर-बालकानां सुशिक्षायै
5. अधोलिखितशैक्षिकोद्देश्येषु सर्वाधिकमहत्त्वपूर्णमुद्देश्यमस्ति-
(अ) मूल्यानां विकासः (ब) आत्मनिर्भरताया विकासः
(स) सर्वधर्मसमभावात्मको विकासः (द) राष्ट्रिय-लक्ष्याणां सम्पूर्तिविकासः

भाग :- (ii) शिक्षायाः मनोवैज्ञानिकाधाराः :- 40 अंकाः

1. वर्तमानसमये मनोविज्ञानं मन्यते-
(अ) आत्मनः विज्ञानम् (ब) मनसः विज्ञानम्
(स) व्यवहारस्य विज्ञानम् (द) मरिचकस्य विज्ञानम्
2. विविधावस्थासु मनोवैज्ञानिकैः या अवस्था संक्रमणकालनाम्नाभिधीयते सावस्थास्ति-
(अ) बाल्यावस्था (ब) किशोरावस्था
(स) युवावस्था (द) वृद्धावस्था
3. अधिगमस्योद्दीपन-अनुक्रियासिद्धान्तस्य प्रवर्तकः -
(अ) थार्नडाइकमहोदयः (ब) पावलावमहोदयः
(स) रिक्नरमहोदयः (द) ब्रूनर महोदयः
4. शिक्षया बालकस्य मूलप्रवृत्तीनां किं कर्तव्यम् ?
(अ) परिवर्तनम् (ब) संशोधनम्
(स) परिवर्धनम् (द) उन्नयनम्
5. अधोलिखितेषु स्तरेषु सामान्यबुद्धिलब्धिस्तरः -
(अ) 90 तः न्यूनतमम् (ब) 90 तः 110 पर्यन्तम्
(स) 110 तः 125 पर्यन्तम् (द) 125 तः अधिकम्

भाग :- (iii) शिक्षेतिहासः, समस्या, प्रबन्धनं, शैक्षिकप्रविधिशास्त्रम् :- 40 अंकाः

1. बहुदेशीयविद्यालयस्य स्थापनाया अनुशंसा विहिता—
(अ) 'राधाकृष्णन्' आयोगेन (ब) 'मुदालियर' आयोगेन
(स) भारतीयशिक्षायोगेन (द) राष्ट्रियशिक्षायोगेन
2. निम्नलिखितेषु गुणेषु शिक्षकाय सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णः गुणा : —
(अ) स्वविषयस्य सम्यग्ज्ञानम् (ब) विनोदप्रियः स्वभावः
(स) समयानुपालनम् (द) उपयुक्तोदाहरणप्रदाने नैपुण्यम्
3. समयविभागचक्रनिर्माणे सर्वाधिकं ध्यातव्यं किं भवति ?
(अ) समयावधिः (ब) विषयेभ्यो समयप्रदानम्
(स) छात्रश्रान्तिः (द) अध्यापकसौविध्यम्
4. समाजस्य निम्नवर्गेषु शिक्षाया अपव्ययावरोधयोः वारणं कथं भवति ?
(अ) आवश्यकविधिं निर्माणेन (ब) सर्वकारीयव्यवस्थां सुव्यवस्थाप्य
(स) अभिभावकेभ्यः आर्थिकसहायतां प्रदाय (द) अभिभावकेषु शिक्षां प्रति जागृतिं विधाय
5. शिक्षाक्षेत्रे शैक्षिकप्रविधिशास्त्रस्य प्रभावादभूत्—
(अ) संचारमाध्यमानां बाहुल्येन प्रयोगः (ब) ज्ञवाचाराणां विकासः
(स) शिक्षणाधिगमस्य सौकर्यम् (द) नूतनविधिषु अध्यापकस्य नैपुण्यम्

भाग :- (iv) संस्कृतविषयज्ञानम् :- 40 अंकाः

1. किं शब्दस्य स्त्रीविवक्षायां चतुर्थी एकवचनम्—
(अ) कस्यै (ब) कस्मै
(स) कस्याः (द) कस्य
2. अस्मद्शब्दस्य षष्ठी-द्विवचनम्—
(अ) नौ (ब) अस्मभ्यम्
(स) अस्मत् (द) नः
3. तिष्ठानि—
(अ) लङ्-प्रथमपुरुष-बहुवचनम् (ब) लिट्-मध्यमपुरुष-द्विवचनम्
(स) लोट्-उत्तमपुरुष-बहुवचनम् (द) लोट्-उत्तमपुरुष-एकवचनम्
4. प्र+ऋच्छति—
(अ) पार्च्छति (ब) प्राच्छति
(स) पराच्छति (द) प्रच्छति
5. तत्+टीका- संधिः —
(अ) श्चुत्व (ब) ष्टुत्व
(स) लुत्व (द) डमुट्
6. युवति —
(अ) कृदन्तम् (ब) तद्धितान्तम्
(स) णिच्-प्रत्ययान्तम् (द) स्त्रीप्रत्ययान्तम्

7. किं वाक्यं साधु –
 (अ) शिक्षिका शिक्षयन् फलं प्रदर्शयति (ब) शिक्षिका शिक्षयन्ति फलं प्रदर्शयति
 (स) शिक्षिका शिक्षयन्ती फलं प्रदर्शयति (द) शिक्षिका शिक्षमाणं फलं प्रदर्शयति
8. समुद्रस्य मध्ये –
 (अ) मध्ये समुद्रम् (ब) मध्यसमुद्रम्
 (स) समुद्रमध्यम् (द) समुद्रे मध्यम्
9. आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा-कस्येदं वचनम् ?
 (अ) कालिदासस्य (ब) भवभूतेः
 (स) माघस्य (द) वाल्मीकेः
10. सर्पाः पवनं पिबन्ति- कर्मवाच्यम्-
 (अ) सर्पाः पवनं पीयते (ब) सर्पैः पवनः पीयते
 (स) सर्पैः पवनं पीयते (द) सर्पैः पवनं पीयन्ते

भाग :- (v) संस्कृतशिक्षणाधिगमः :- 40 अंकाः

1. संस्कृतायोगस्य अध्यक्षः
 (अ) प्रो. वी राघवन् (ब) सुनीति कुमार चटर्जी
 (स) सर्वपल्लिराधाकृष्णन् (द) प्रो. यशपालः
2. शिक्षणं नाम –
 (अ) बोधनम् (ब) लालनम्
 (स) ताडनम् (द) ज्ञानस्य सङ्क्रमणम्
3. व्याकरणानुवादविधेः प्रवर्तकः –
 (अ) पाणिनिः (ब) विद्यासागरः
 (स) रामकृष्ण गोपालभाण्डार्करः (द) सी.आर. लक्ष्मणः
4. प्रश्नपत्रस्य मुख्यलक्षणम् –
 (अ) प्रामाणिकता (ब) विश्वसनीयता
 (स) उपयोगिता (द) उपर्युक्तत्रयम्
5. प्रो. डी. एलोन् महोदयः अस्य नवाचारस्य मूलपुरुषः –
 (अ) सूक्ष्मशिक्षणस्य (ब) भाषाप्रयोगशालायाः
 (स) दलशिक्षणस्य (द) अभिक्रमिताधिगमस्य
6. पाठयोजनायाः मुख्यतया आधारभूतसोपानानि –
 (अ) 6 (ब) 5
 (स) 8 (द) 7
7. संविधानस्य.....सूच्यां भाषाणां निर्देशः वर्तते –
 (अ) 9 (ब) 18
 (स) 7 (द) 8
8. छात्राणाम् आदर्शपुरुषः –
 (अ) रामः (ब) प्रधानशिक्षकः
 (स) शिक्षकः (द) हनुमान्

9. अनुवादविधिना संस्कृतभाषाया अभ्यासः सुष्ठु भवति -

- (अ) सत्यम् (ब) असत्यम्
(स) चिन्तनीयम् (द) न वक्तव्यम्

10. अहं संस्कृतशिक्षकः भवेयम् कुतः ?

- (अ) वेतनस्वीकरणाय (ब) संस्कृतभाषापाठनाय
(स) संस्कृतभाषाप्रसारणाय (द) छात्रेषु शीलनिर्माणाय

(उल्लिखित पाँचों भागों के प्रश्न केवल उदाहरण के लिये हैं। प्रत्येक भाग में उतने ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जितने अंको का वह भाग निर्धारित किया गया है।)

